FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बारां मुकाम ....

शिवराज बनाम भुवनेश्वर वगैरह

किस्म मुकदमा 111/128 LRAct नं. 191/2020 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.20	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री नरपत सिंह ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111/128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.09.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बारां	
08/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त किये शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बारां	
24/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतो के मध्य जो	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO) बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:38:41 IST
Reason: SelfAttested

पुरानी मांडे व कोरो आये हुए थे जो वर्तमान में आबादियों की बजह से बिगड़ गये है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ध्यान नही पड़ता है। खेत के सीमों को लेकर प्रार्थी व विपार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान करने हेतु पत्थरों की पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त व सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की ~~पत्थर~~ पैमाइशबन्दी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के रूप में दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:38:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 717 दिनांक :– 24/09/2020

राजस्व आवेदन संख्या –191 / 2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री शिवाराम पुत्र गुमनाराम
जाति–मेघवाल,
निवासी–कसुम्बला हरचंद,
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

श्री लुम्बाराम पुत्र हरूराम वगैरा 9,
निवासी–कसुम्बला हरचंद,
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–कसुम्बला हरचंद, पटवार मण्डल–कसुम्बला भाटियान, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 122/70 रकबा 36.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौंके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 718-722 दिनांक :–24/09/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री शिवाराम पुत्र गुमनाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री लुम्बाराम पुत्र हरूराम वगैरा 9।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:38:41 IST
Reason: SelfAttested